



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-10112022-240185
CG-DL-E-10112022-240185

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 283]
No. 283]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, नवम्बर 10, 2022/कार्तिक 19, 1944
NEW DELHI, THURSDAY, NOVEMBER 10, 2022/KARTIKA 19, 1944

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(व्यापार उपचार महानिदेशालय)

अधिसूचना

जांच समाप्ति

नई दिल्ली, 9 नवम्बर, 2021

मामला सं. एडी (ओआई) 48/2020

विषय : चीन जन.गण., थाइलैंड और वियतनाम के मूल के अथवा वहां से निर्यातित सोलर सैल चाहे मॉड्यूल या पैनल में संयोजित हों अथवा नहीं, के आयातों से संबंधित पाटनरोधी जांच समाप्ति ।

क. प्रस्तावना

फा. सं. 6/56/2020-डीजीटीआर.—1. समय-समय पर यथासंशोधित सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (जिसे आगे अधिनियम भी कहा गया है) और समय-समय पर यथा-संशोधित सीमाशुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उन पर पाटनरोधी शुल्क का आकलन और संग्रहण तथा क्षतिनिर्धारण) नियमावली, 1995 (जिसे आगे नियमावली भी कहा गया है) को ध्यान में रखते हुए मै. इंडियन सोलर मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन (जिसे यहां आगे “आईएसएमए” अथवा ‘आवेदक’ भी कहा गया है) ने (i) मै. मुन्द्रा सोलर पीवी लिमिटेड (एसईजैड यूनिट); (ii) मै. जुपिटर सोलर पावर लिमिटेड (डीटीए यूनिट) और (iii) मै. जुपिटर इंटरनेशनल लिमिटेड (डीटीए यूनिट) की ओर चीन जन.गण., थाइलैंड और वियतनाम (जिन्हें आगे संबद्ध देश भी कहा गया है) के मूल के अथवा वहां से निर्यातित ‘सोलर सैल’ चाहे मॉड्यूल या पैनल में संयोजित हों अथवा नहीं, के आयातों से संबंधित पाटनरोधी जांच की शुरुआत करने और उन पर पाटनरोधी शुल्क लगाने के लिए निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिन्हें आगे प्राधिकारी भी कहा गया है) के समक्ष एक आवेदन प्रस्तुत किया है।

2. प्राधिकारी ने संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तु के पाटन, घरेलू उद्योग को क्षति और पाटन तथा क्षति के बीच कारणात्मक संबंध के आवेदक द्वारा प्रस्तुत प्रथम दृष्टया साक्ष्य के आधार पर नियमावली के नियम 5 के अनुसार कथित पाटन और घरेलू उद्योग को परिणामी क्षति के संबंध में पाटनरोधी जांच की शुरुआत की थी।
3. तदनुसार, प्राधिकारी ने चीन जन.गण., थाइलैंड और वियतनाम के मूल की अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तु के आयातों से संबंधित पाटनरोधी जांच की शुरुआत करते हुए राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना सं. 6/56/2020-डीजीटीआर दिनांक 15 मई, 2021 के माध्यम से एक सार्वजनिक सूचना जारी की थी।

ख. प्रक्रिया

4. प्राधिकारी ने नियमावली के नियम 5(5) के अनुसार जांच की शुरुआत की कार्रवाई से पहले वर्तमान पाटनरोधी आवेदन की प्राप्ति के बारे में भारत में संबद्ध देशों के दूतावासों को अधिसूचित किया।
5. प्राधिकारी ने जांच शुरुआत के बाद जांच शुरुआत संबंधी अधिसूचना की प्रतियां भारत में संबद्ध देशों के दूतावासों, संबद्ध देशों के ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों, ज्ञात आयातकों/प्रयोक्ताओं और घरेलू उद्योग को आवेदक द्वारा उपलब्ध कराए गए पत्तों के अनुसार भेजी थी और उनसे नियमावली के नियम 6(2) के अनुसार जांच शुरुआत अधिसूचना के 30 दिनों के भीतर लिखित में अपने विचारों से अवगत कराने का अनुरोध किया था।
6. प्राधिकारी ने नियमावली के नियम 6(3) के अनुसार ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों तथा भारत में संबद्ध देशों के दूतावासों को आवेदन के अगोपनीय अंश की एक-एक प्रति उपलब्ध कराई थी।
7. भारत में संबद्ध देशों के दूतावासों से विहित समय सीमा के भीतर प्रश्नावली का उत्तर देने के लिए अपने-अपने देशों के निर्यातकों/उत्पादकों को सलाह देने का अनुरोध भी किया गया था। उत्पादकों/निर्यातकों को भेजे गए पत्र और प्रश्नावली की एक प्रति संबद्ध देशों से ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों के नाम और पत्तों के साथ दूतावास को भी भेजी गई थी।
8. जांच शुरुआत अधिसूचना और सूचना के रूप में संबद्ध देशों से निर्यातकों/उत्पादकों और आयातकों/प्रयोक्ताओं ने निर्यातक प्रश्नावली के उत्तर और कानूनी अनुरोध प्रस्तुत करके प्राधिकारी को उत्तर दिया था।
9. सभी हितबद्ध पक्षकारों की एक सूची उन सभी से इस अनुरोध के साथ डी जी टी आर की वेबसाइट पर अपलोड की गई थी कि वे अपने अनुरोधों का अगोपनीय अंश अन्य सभी हितबद्ध पक्षकारों को ई-मेल कर दें क्योंकि वर्तमान वैश्विक महामारी के कारण सार्वजनिक फाइल भौतिक रूप में उपलब्ध नहीं थी।
10. प्राधिकारी ने नियम 6(6) के अनुसार हितबद्ध पक्षकारों को मौखिक रूप से संगत सूचना प्रस्तुत करने का अवसर देने के लिए दिनांक 17 नवंबर, 2021 को एक मौखिक सुनवाई आयोजित की थी।
11. घरेलू उद्योग द्वारा दायर वापसी आवेदन को सभी इच्छुक पक्षों को परिचालित किया गया था।

ग. सुकदमा

12. पूर्वोक्त जांच शुरुआत अधिसूचना को सोलर पावर डेवलपर्स एसोसिएशन (एसपीडीए) ने घरेलू उद्योग को क्षति के अभाव, याचिकाकर्ता की अपर्याप्त योग्यता, अन्य प्रयोक्ता उद्योग के हित पर विचार न करने, विचाराधीन उत्पाद और समान वस्तु का गलत ढंग से परिभाषित दायरा जैसे मुद्दों का आरोप लगाते हुए दायर की गई रिट याचिका (डब्ल्यू.पी. (सी)5882/2021) के माध्यम से माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष चुनौती दी गई है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने दिनांक 04.06.2021 के अपने आदेश के माध्यम से याचिकाकर्ता (एस पी डी ए) को यह विशिष्ट राहत प्रदान की है कि डी जी टी आर के समक्ष उत्तर प्रस्तुत करने की समय सीमा सुनवाई की अगली तारीख (19.7.2021) से आगे किसी तारीख तक बढ़ा दी जाएगी। यह मामला इस समय उच्च न्यायालय समक्ष लंबित है।
13. उक्त याचिका (डब्ल्यू.पी. (सी)5882/2021) के संबंध में दिनांक 04.06.2021 के उच्च न्यायालय के आदेश के विरुद्ध डी जी टीआर द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय में एसएलपी (सी) 12057/2021 दायर की गई थी जिसे माननीय उच्चतम न्यायालय ने दिनांक 09.08.2021 के अपने आदेश के जरिए खारिज कर दिया था।
14. मौखिक सुनवाई के बाद कुछ निर्यातकों/उत्पादकों ने प्राधिकारी द्वारा निर्धारित समय के बाद दायर अपने प्रश्नावली के उत्तर को स्वीकार करने की प्रार्थना करते हुए दिल्ली उच्च न्यायालय से अनुरोध किया था कि विलंबित उत्तरों को स्वीकार करने के संबंध में 19.04.2022 को अंतिम सुनवाई में माननीय उच्च न्यायालय ने डी जी टी आर के इस दृष्टिकोण का समर्थन करते हुए अपना निर्णय दिया कि " दिनांक 4.06.2021 का उच्च न्यायालय का आदेश एक निजी आदेश है और न्यायालय द्वारा राहत को इसलिए बढ़ाया गया था ताकि संबंधित याचिकाकर्ता (आयातक) निर्दिष्ट प्राधिकारी के समक्ष सूचना देने में सक्षम हों और न कि संबंधित याचिकाकर्ता (निर्यात) सक्षम हों।" तथापि,

माननीय न्यायालय ने यह भी निर्देश दिया कि दिनांक 25 जून, 2021 से 31 जुलाई, 2021 तक याचिकाकर्ताओं द्वारा दायर उत्तरों को प्रत्येक याचिकाकर्ता द्वारा आर्म्ड फोर्सेज बैटल कैजुअल्टी वेलफेयर फंड में 1,00,000/- रूपए की लागत के भुगतान के अधीन रिकॉर्ड में लिया जाएगा।

घ. घरेलू उद्योग से प्राप्त अनुरोध

15. आवेदक ने दिनांक 14 जुलाई, 2022 के एक पत्र/ई-मेल के माध्यम से यह बताते हुए इस विषय पर अपने आवेदन को वापस ले लिया है कि:

“आई एस एम ए अनुरोध करता है कि जांच शुरुआत के बाद भारत सरकार ने 1 अप्रैल, 2022 से टैरिफ शीर्षों 8541.40.11 और 8541.40.12 पर क्रमशः 25 प्रतिशत और 40 प्रतिशत का मूल सीमाशुल्क शुरू किया है। विचाराधीन उत्पाद के संपूर्ण दायरे को शामिल करने वाली उक्त लेवी ने यद्यपि, पूर्ण रूप से नहीं तथापि, पर्याप्त रूप से संबद्ध देशों से पाटन के कारण घरेलू उद्योग द्वारा झेले जा रहे कीमत दबाव को कम कर दिया है।”

ङ. घरेलू उद्योग की वापसी के आवेदन पर टिप्पणियां

16. घरेलू उद्योग द्वारा दायर उपर्युक्त निकासी आवेदन अन्य इच्छुक पार्टियों को परिचालित किया गया था। अधिकांश हितबद्ध पक्षकारों ने घरेलू उद्योग के वापसी आवेदन का समर्थन किया और जांच को समाप्त करने का अनुरोध किया। कुछ हितबद्ध पक्षकारों ने जांच को समाप्त करने का अनुरोध करते हुए यह भी अनुरोध किया कि प्राधिकारी को पाटन और क्षति के दावों को सत्यापित करने के लिए सैद्धांतिक रूप से जांच करनी चाहिए।

च. प्राधिकारी द्वारा जांच

17. घरेलू उद्योग द्वारा दिनांक 14 जुलाई, 2022 के उनके पत्र के माध्यम से किए गए अनुरोध की जांच की गई है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि नियमावली का नियम 14(क) निम्नानुसार उल्लेख करता है:

“जांच की समाप्ति – निर्दिष्ट प्राधिकारी एक सार्वजनिक सूचना जारी करके किसी जांच को तत्काल समाप्त कर देंगे यदि-

(क) उन्हें पीड़ित घरेलू उद्योग जिसके अनुरोध पर जांच की शुरुआत की गई थी, से या उसकी ओर से लिखित में ऐसा करने का अनुरोध प्राप्त होता है।”

18. यह नोट किया गया है कि नियमावली का नियम 14 कतिपय स्थितियों में पाटनरोधी जांच की समाप्ति का प्रावधान करता है जिनमें ऐसी स्थिति शामिल है, जबकि उस पीड़ित घरेलू उद्योग जिसके कहने पर जांच शुरू की गई थी, द्वारा आवेदन वापस ले लिया जाता है। नियमावली का नियम 14(क) में यह प्रावधान है कि प्राधिकारी एक सार्वजनिक सूचना जारी करके जांच समाप्त कर देंगे यदि उन्हें उस पीड़ित घरेलू उद्योग, जिसके कहने पर जांच शुरू की गई थी, से या उसकी ओर से लिखित में ऐसा करने का अनुरोध प्राप्त होता है।

19. वर्तमान जांच डीटीए इकाइयों अर्थात् मै. जुपिटर सोलर पावर लिमिटेड और मै. जुपीटर इंटरनेशनल लिमिटेड के रूप में घरेलू उद्योग मानते हुए आई एस एम ए द्वारा दायर आवेदन के आधार पर शुरू की गई थी। प्राधिकारी नोट करते हैं कि नियमावली के नियम 14(क) में प्राधिकारी के लिए तब जांच समाप्त करना अपेक्षित है जबकि उस घरेलू उद्योग, जिसके कहने पर जांच शुरू की गई थी, द्वारा जांच की समाप्ति के लिए लिखित अनुरोध प्राप्त होता है।

20. मुकदमे के संबंध में प्राधिकारी नोट करते हैं कि माननीय उच्च न्यायालय ने रिट याचिका (डब्ल्यू.पी.(सी) 5882/2021) में दिनांक 05.10.2021 के अपने आदेश के माध्यम से प्राधिकारी को जांच की कार्रवाई करने का निर्देश दिया है, तथापि, उन्होंने प्राधिकारी को यह निर्देश दिया था कि जांच के संचालन से उत्पन्न कोई आदेश केवल माननीय उच्च न्यायालय की अनुमति से ही पारित किया जाना चाहिए।

21. तदनुसार, घरेलू उद्योग से आवेदन वापस लेने के अनुरोध की प्राप्ति के बाद, प्राधिकारी ने सी.एम. आवेदन. 46567/2022 द्वारा माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष एक आवेदन दायर कर समाप्ति अधिसूचना प्रकाशित करने की अनुमति मांगी। आवेदन पर माननीय न्यायालय द्वारा 01.11.2022 को डब्ल्यू.पी.(सी) 5882/2021 के साथ सुनवाई की गई, माननीय न्यायालय द्वारा निम्नलिखित आदेश पारित किया गया:

“... उपरोक्त कथनों के आलोक में, वर्तमान आवेदन स्वीकार किया जाता है और वर्तमान रिट याचिका आवेदन के साथ संतुष्ट होने पर निस्तारित की जाती है।

अंतरिम आदेश, यदि कोई हों, रद्द हो जाते हैं।”

22. जहां तक पाटन और क्षति विश्लेषण पर विश्लेषण पूरा करने के संबंध में हितबद्ध पक्षकारों की टिप्पणियों का संबंध है, यह नोट किया जाता है कि वापसी के अनुरोध को ध्यान में रखते हुए घरेलू उद्योग और तत्काल जांच के तथ्यों और परिस्थितियों को सामने रखा गया है, इस तरह की कार्रवाई अयोग्य है।

छ. निष्कर्ष

23. घरेलू उद्योग, आईएसएमए द्वारा नियमावली का नियम 14(क) के प्रावधानों के अंतर्गत किए गए पूर्वोक्त अनुरोध और सी.एम. आवेदन. 46567/2022 एवं डब्ल्यू.पी. (सी) 5882/2021 में माननीय उच्च न्यायालय के आदेश को मद्देनजर प्राधिकारी चीन जन.गण., थाइलैंड और वियतनाम के मूल के अथवा वहां से निर्यातित सोलर सैलों, चाहे मॉड्यूल या पैनल में संयोजित हों अथवा नहीं, के आयातों के विरुद्ध अधिसूचना सं. 6/56/2020-डी जी टी आर के माध्यम से दिनांक 15 मई 2021 को शुरू की गई जांच को एतद्वारा समाप्त करते हैं।

अनन्त स्वरूप, निर्दिष्ट प्राधिकारी

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY
(Department of Commerce)
(DIRECTORATE GENERAL OF TRADE REMEDIES)

NOTIFICATION

TERMINATION

New Delhi, the 9th November, 2022

Case No. (O.I.) 48/2020

Subject :Termination of Anti-Dumping Investigation concerning imports of Solar Cells whether or not assembled into Modules or Panels originating in or exported from China PR, Thailand and Vietnam.

A. Introduction

F. No. 6/56/2020-DGTR.—1. Having regard to the Customs Tariff Act, 1975 as amended from time to time (hereinafter also referred as the ‘Act’) and the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995, as amended from time to time (hereinafter also referred as the ‘Rules’), thereof, M/s Indian Solar Manufacturers Association (hereinafter also referred to as ‘ISMA’ or the ‘applicant’), on behalf of (i) M/s Mundra Solar PV Limited (SEZ unit); (ii) M/s Jupiter Solar Power Limited (DTA unit) and (iii) M/s Jupiter International Limited (DTA unit) filed an application before the Designated Authority (hereinafter also referred to as the ‘Authority’) for initiation of anti-dumping investigation and imposition of anti-dumping duties on the imports of Solar Cells whether or not assembled into Modules or Panels originating in or exported from China PR, Thailand and Vietnam (hereinafter referred as ‘subject countries’).

2. The Authority, based on prima facie evidence of dumping of subject goods from the subject countries, injury to the domestic industry and causal link between the dumping and injury submitted by the applicant, initiated an anti-dumping investigation into the alleged dumping, and consequential injury to the domestic industry in terms of Rule 5 of the Rules.
3. The Authority accordingly issued a public notice vide notification no. 6/56/2020-DGTR dated 15th May, 2021 published in the Gazette of India, initiating an anti-dumping investigation concerning imports of the subject goods, originating in or exported from China PR, Thailand and Vietnam.

B. Procedure

4. The Authority notified the Embassies of subject countries in India about the receipt of the present anti-dumping application before proceeding to initiate the investigation in accordance with Rule 5(5) of the Rules.
5. The Authority post-initiation sent copies of the initiation notification to the Embassies of the subject countries in India, known producers/exporters from the subject countries, known importers/users and the domestic industry as per the addresses made available by the applicant and requested them to

make their views known in writing within 30 days of the initiation notification as per Rule 6(2) of the Rules.

6. The Authority provided a copy of the non-confidential version of the application to the known producers/exporters and to the Embassies of the subject countries in India in accordance with Rule 6(3) of the Rules.
7. The Embassies of the subject countries in India were also requested to advise the exporters/producers from its countries to respond to the questionnaire within the prescribed time limit. A copy of the letter and questionnaire sent to the producers/exporters was also sent to them along with the names and addresses of the known producers/exporters from the subject countries.
8. In response to the initiation notification and intimation, exporters/ producers from the subject countries and importers/ users responded to the Authority by filing the exporter questionnaire responses and the legal submissions.
9. A list of all the interested parties was uploaded on the DGTR's website along with the request therein to all of them to email the non-confidential version of their submissions to all other interested parties since the public file was not accessible physically due to the ongoing global pandemic.
10. The Authority held an oral hearing on 17th November, 2021 to provide an opportunity to the interested parties to present relevant information orally in accordance with the Rule 6(6).
11. The withdrawal application filed by the domestic industry was circulated to all interested parties.

C. Litigation

12. The aforesaid initiation notification has been challenged before the Hon'ble Delhi High Court through a Writ Petition (W.P.(C) 5882/2021) filed by Solar Power Developers Association (SPDA) alleging issues like absence of injury to the domestic industry, insufficient standing of the petitioner, no consideration of interest of the other user industry, poorly defined scope of product under consideration & like article. The High Court of Delhi through its order dated 04.06.2021 granted specific relief to the petitioner (SPDA) that the time limit for filing the response before DGTR shall stand extended to a date beyond the next date of hearing i.e 19.07.2021.
13. The SLP (C) 12057/2021 was filed by the DGTR in the Hon'ble Supreme Court against the High Court Order dated 04.06.2021 in the above petition (W.P.(C) 5882/2021) which was dismissed by the Hon'ble Supreme Court through its order dated 09.08.2021.
14. After the oral hearing, some of the exporters/producers approached the High Court of Delhi praying for acceptance of their questionnaire responses filed beyond the time stipulated by the Authority. In last hearing on 19.04.2022 on acceptance of belated responses, the Hon'ble High Court passed its judgement upholding DGTR's stand that "the High Court Order dated 4.6.2021 is an order *in personam* as the relief had been extended by the court to enable petitioners therein (importers) to place information before the Designated Authority and not the petitioners herein (exporters)." However, Hon'ble Court also directed that "the responses filed by the petitioners between 25 June, 2021 and 31 July 2021 to be taken on record subject to the payment of costs of Rs.1,00,000/- by each of the petitioners to Armed Forces Battle Casualties Welfare Fund".

D. Request received from the Domestic Industry

15. The applicant through a letter/an email dated 14th July 2022, withdrew the application filed in the subject matter stating that:

"ISMA submits that post initiation, Government of India has introduced a basic customs duty of 25% and 40% on tariff headings 8541.40.11 and 8541.40.12 respectively with effect from 1st April 2022. The said levy covering the entire scope of the product under investigation has alleviated the price pressure being suffered by the domestic industry due to dumping from the subject countries to a considerable extent, though not fully."

E. Comments on the withdrawal application of the domestic industry

16. The abovementioned withdrawal application filed by the domestic industry was circulated to the other interested parties. Most of the interested parties supported the domestic industry's withdrawal application and requested for termination of the investigation. A few interested parties while

requesting for termination of the investigation also requested that the Authority should carry out the examination in principle to verify the claims of dumping and injury.

F. Examination by the Authority

17. The request made by the domestic industry, vide its letter dated 14.07.2022 has been examined. The Authority notes that Rule 14(a) of the Anti-dumping Rules, 1995 reads as under:

“Termination of investigation. - The designated authority shall, by issue of a public notice, terminate an investigation immediately if –

(a) it receives a request in writing for doing so from or on behalf of the domestic industry affected, at whose instance the investigation was initiated;”

18. It is noted that Rule 14 of the Anti-dumping Rules, 1995 provides for termination of an anti-dumping investigation in certain situations which includes a situation wherein the application is withdrawn by the affected domestic industry, at whose instance the investigation was initiated. Rule 14(a) of the Anti-dumping Rules, 1995 provides that the Authority shall, by issue of a public notice, terminate an investigation if it receives a request in writing for doing so from or on behalf of the domestic industry affected, at whose instance the investigation was initiated.
19. The present investigation was initiated based on an application filed by ISMA, considering the domestic industry as DTA units i.e., M/s Jupiter Solar Power Limited and M/s Jupiter International Limited. The Authority notes that Rule 14(a) of the Anti-dumping Rules, 1995 requires the Authority to terminate the investigation, once the domestic industry, at whose instance the investigation was initiated files a written request for termination of the investigation.
20. With regards to the litigation, the Authority notes that the Hon’ble High Court vide its order dated 05.10.2021 in Writ Petition (W.P.(C) 5882/2021) has directed the Authority to proceed with the investigation, however, it had directed the Authority that any order emanating from the conduct of the investigation needs to be passed only with the leave of the Hon’ble High Court.
21. Accordingly, after the receipt of the request of the withdrawal of the application from the domestic industry, the Authority filed an application CM. Appl. 46567/2022 before the Hon’ble High Court of Delhi seeking its permission to publish the termination notification. The application was heard along with the W.P. (c) 5882/2021 by the Hon’ble Court on 01.11.2022. The following order was passed by the Hon’ble Court:

“... In view of the aforesaid statements, the present application is allowed and the present writ petition along with application stands disposed of as satisfied.

The interim orders, if any, stand vacated.”

22. As regard the comments of the interested parties with respect to completion of analysis on dumping and injury analysis, it is noted that in view of the withdrawal request put forward the domestic industry and the facts and circumstances of the instant investigation, such an exercise is not warranted.

G. Conclusion

23. In view of the aforesaid request made by the domestic industry, ISMA, under the provisions of Rule 14(a) of the Anti-dumping Rules, 1995, and in accordance with the Order of the Hon’ble High Court in CM Appl. 46567/2022 and W.P. (C) 5882/2021, the Authority hereby terminates the investigation initiated on 15th May, 2021 vide notification No. 6/56/2020-DGTR against the imports of Solar Cells whether or not assembled into Modules or Panels originating in or exported from China PR, Thailand and Vietnam.

ANANT SWARUP, Designated Authority